न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 67 /2020(2020/00197)

1. रामरतन पुत्र श्री भूरा जाति तेली निवासी जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

––प्रार्थी

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र श्री चान्दमल दुबे जाति ब्राम्हण
2. नवरतन्याती पुत्र श्री मोहनलालन्याती जाति महाजन
3. मनमोहन पुत्र श्री बालूराम शर्मा जाति ब्राम्हण
4. विनोद कुमार पुत्र श्री पारसमल जैन जाति महाजन समस्त अ.वि.व. जरिये पार्टनर मैसर्स अन्तर्गना पी.वी इन्टर नेशनल एन.एच. 8 नियर कशर जयपुर अजमेर बायपास रोड मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी जिला अजमेर।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1. श्री इमदाद अली – वकील प्राथी

–:आदेशः–

दिनांक–26.4.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र पेश किया उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक चाही गई। निम्न वर्णित आराजीयात वाके ग्राम जुनिया तहसील केकडी जिला अजमेर का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा	रकबा(है0)	किस्म
1118–1055	1592	0.59	बारानी 1
	1593	0.48	पेटा ता0
	1624	0.01	गै.मु.चाह
	7075/1623	0.44	चाही 2
	कुल किता 4	कुल रकबा 1.52है0	

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की उपरोक्त आराजीयात के लगवा की अप्रार्थीगण की मैसर्स अन्तर्मना के नाम से माईन्स है जिनके खसरा संख्या 1582,1583,1584 है। तथा उक्त दोनो आराजीयात के लगवा दक्षिण दिशा में गै0मु0रास्ता है जिसके खसरा नंबर 1575 है जो प्रार्थी के गै0मु0 चाह खसरा संख्या 1624 तक आता है वाद पत्र संख्या 2 मे वर्णित आराजीयात प्रार्थी के तन्हा कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य मे चली आ रही है जिसमे किसी भी अन्य दीगर व्यक्ति कोई हक हिस्सा अधिकार नही है और ना ही हो सकता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की नियत बद है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न करने व प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त व स्वामित्व तथा आधिपत्य वाली आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है जिस हेतु अप्रार्थीगण ने बिना किसी विधिक अधिकार के प्रार्थी का उसके कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य वाली आराजीयात से बेदखल करने की गरज से प्रार्थी की आराजीयात के लगवा पश्चिम दिशा में स्थित प्रार्थी की मेड को नष्ट भ्रष्ट कर तोड कर प्रार्थी की आराजीयात मे पांच फीट अन्दर की तरफ डाक बेल डालकर अवैध तरीके से पुख्ता दीवार का निर्माण कार्य करने पर आमाद हुये और प्रार्थी की फसल को नष्ट भ्रष्ट करने के आशय से प्रार्थी की आराजीयात मे मिटटी डाल दी। जिसका कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 को किसी प्रकार का कोई विधिक हक अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थीगण ने बिना किसी विधिक अधिकार के प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने हेतु एक मात्र रेकॉर्डेड गै0मु0 रास्ता खसरा नंबर 1575 पर अतिक्रमण करने की गरज से उक्त गै0 मु0 रास्ता पर मिटटी डाल कर मिटटी की दीवार बना दी जिससे प्रार्थी को अपनी आराजीयात व गै0मु0 चाह पर आने जाने हेतु काफी कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थी को उसके कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य व हक अधिकार वाली आराजीयात से बेदखल करने पर आमाद होने तथा बिना किसी विधिक अधिकार के गै0मु0 रास्ता पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने की गरज से मिटटी डाल दी तथा प्रार्थी के आने जाने के गै0मु0रास्ता को पूर्ण रूप से बंद कर दिया तथा प्रार्थी की कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य वाली आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिसका की अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को किसी प्रकार का वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 अपने नाजायत उद्देश्य मे कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अजहद क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुल्याकंन किया जाना असंभव है एंव अनेकानेक विवादो की उत्पत्ति हो जायेगी तथा प्रार्थी खर्चे से जेरबार हो जायेगा इस हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 दौराने वाद किसी प्रकार का अवैध निर्माण कार्य कर लेते है तो उक्त अवैध निर्माण कार्य को न्यायालय की ऐजेन्सी द्वारा तुडवाया जाकर व मिटटी हटवायी जाकर और प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने हेतु एक मात्र गै0मु0रास्ता खसरा नंबर 1575 पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटवाया जाकर गै0मु0 रास्ते को न्यायालय की ऐजेन्सी द्वारा खुलवाया जाकर पूर्ववत स्थिति कायम की जावे तथा उसका खर्चा भी अप्रार्थीगण से वसूल यिा जावे। अप्रार्थीगण के उपरोक्त अवैध कृत्य के विरूद्व प्रार्थी ने दिनांक 27.05.2020 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय केकडी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तत्पश्चात दिनांक 27.05.2020 को श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कया। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु आज दिनांक तक अप्रार्थीगण के उपरोक्त अवैध कृत्य के विरूद्व किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही हुई जिससे अप्रार्थीगण के हौसले बुलन्द हो गये जिस हेतु यह वाद प्रस्तुत करना लाजीमी आया है।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को नोटिस व सम्मन जारि किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा भिन्न–भिन्न दिनांक अप्रार्थीगण को बावजूद सुचना के गैर हाजिर रहे उनके खिलाफ एक्सपार्टी की गई। बहस हेतु प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। अप्रार्थीगण को बावजूद सुचना गैर हाजिर रहे। उनके खिलाफ एक्सपार्टी की गई। बहस हेतु विभिन्न दिनांक पर अप्रार्थीगण गैर हाजिर रहे। प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी पाया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करते हुये। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजीयात पर अप्रार्थीगण, एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा, व्यवधान उत्पन्न नही करे और ना ही प्रार्थी की आराजीयात में किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner